

लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/04/1962/98/एफ०सी० दिनांक-08.03.1999 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन का आदेश संख्या जी०आई० 322/14-2-99-700(2)97 दिनांक-01.10.1999 द्वारा 400के०वी० ली०लो० ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968हे० वन भूमि 20 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को 400के०वी० ली०लो० ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968हे० (धारा 4 में अधिसूचित भूमि को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968हे० के बजाय 7.5118हे० है। वर्तमान में उक्त लाईन में प्रभावित होने वाली 7.5118हे० वन भूमि को पुनः 37 वर्षों के लीज पर किये जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण 20हे० वन भूमि से कम होने पर आवश्यक नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभारी वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०,